



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असामान्य
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1991/फाल्गुन 9, 1912
No. 82] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 1991/PHALGUNA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1991

सा. का. नि. 96(अ).—केन्द्रीय सरकार, नारकोटिक्स औषधि तथा साइकोट्रॉपिक तत्व
अधिनियम 1988 (1988 का 46) में अवैध व्यापार निवारण की धारा 9 के खंड (क)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 716 (ई) तारीख 26 जुलाई, 1989 को अतिष्ठित करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. पी. वधवा, न्यायाधीश,
दिल्ली उच्च न्यायालय।

सदस्य

- माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एल. जैन, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय।
- माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. एन. गोस्वामी, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय।

[फा. सं. 820/1/91-पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस.]

ए. के. राय, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1991

G.S.R. 96(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of section 9 of the Prevention of Ulicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 716(E) dated 26th July, 1989 the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :

CHAIRMAN

- Hon'ble Mr. Justice D. P. Wadhwa, Judge of the Delhi High Court.

MEMBERS

- Hon'ble Mr. Justice M. L. Jain, Retired Judge of the Delhi High Court.
- Hon'ble Mr. Justice N. N. Goswamy, Retired Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 820/1/91-PITNDPS]

A. K. ROY, Under Secy.